दिनांक 05.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 09/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ : जनपद मऊ में पेट्रोल पम्प मालिक की हत्या कर रूपये 19 लाख की लूट तथा जनपद गोरखपुर में हत्या के अभियोग में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी झिन्कू राय को एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 05.10.2019 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद मऊ में पेट्रोल पम्प मालिक की हत्या कर रूपये 19 लाख की लूट तथा जनपद गोरखपुर में हत्या के अभियोग में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी झिन्कू राय को जनपद मऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1- झिन्कू राय उर्फ विरेन्द्र राय पुत्र प्रसिद्ध नारायण राय, नि0 ग्राम मन्नीपुर सहडौली, थाना-गोला, गोरखपुर।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनायें कारित किये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभियान चलाकर अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री प्रमेश शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक श्री संतोष सिंह व श्री पंकज सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त आसनसोल पष्चिम बंगाल में छिपकर रह रहा था जो आज दिनांक 05.10.2019 को अपने किसी साथी से मिलने के लिए बड़हलगंज, गोरखपुर आयेगा। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम द्वारा जनपद बड़हलगंज, गोरखपुर जाकर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा उक्त स्थान पर घेराबन्दी कर मुखबिर की निषानदेही पर अभियुक्त झिन्कू राय उर्फ विरेन्द्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त झिन्कू ने पूछताछ करने पर बताया कि उसके चचेरे भाई संकर्षण राय की वर्ष 1998 में षिवप्रकाष राय द्वारा हत्या कर दी गयी थी और इसके कुछ वर्षो बाद षिवप्रकाष से उसके परिवार का झगड़ा हुआ था जिससे उसके उपर भी धारा 307 भादवि का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2006 में गांव के ही जितेन्द्र राय का अपहरण व हत्या हुई,

जिसमें उसके व उसके साथी वेदप्रकाष राय व दिवाकर दूबे के खिलाफ थाना कैण्ट, गोरखपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। दिनांक 08.04.2019 को कस्बा दोहरीघाट के गुप्ता पेट्रोल पम्प पर उसने अपने साथी मन्टू निषाद व गणेष गौड़ के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पेट्रोल पम्प मालिक उमेष गुप्ता द्वारा विरोध किये जाने पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दिया था। वह अपने एक करीबी रिष्तेदार जो आसनसोल पष्चिम बंगाल स्थित कोईलरी में काम करते है, के यहां भागकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त झिन्कू राय का अपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	11/03	307, 504, 506 भादवि	गोला	गोरखपुर
2	1362/06	364, 302, 201, 120बी भादवि	कैण्ट	गोरखपुर
3	34/10	3(1) यू0पी0 गै0एक्ट	गोला	गोरखपुर
4	23/10	452, 504, 307, भादवि व 7 सीएलए एक्ट	गोखा	गोरखपुर
5	54/13	110 जी सीआरपीसी	गोला	गोरखपुर
6	217/18	323, 504, 506 भादवि	गोला	गोरखपुर
7	158/18	302, 307, 34, 216 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	तिवारीपुर	गोरखपुर
8	130/19	394, 302, 411 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
9	133/19	307 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
10	265/19	2/3 यू0पी0 गै0एक्ट	दोहरीघाट	मऊ

गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0सं0 130/19 धारा 394, 302, 411 भादवि, मु0अ0सं0 133/19 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 265/19 धारा 2/3 यू0पी0 गै0 एक्ट थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ एवं मु0अ0सं0 158/2018 धारा 302, 307, 34, 216 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना तिवारीपुर, जनपद–गोरखपुर में वांछित चल रहा था, जिनमें अग्रेत्तर कार्यवाही थाना दोहरीघाट जनपद मऊ व थाना तिवारीपुर, जनपद गोरखपुर द्वारा सम्पादित की जायेगी।

<u>जनपद कानपुर नगर/थाना बर्रा</u>

- **03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 04/05.10.2019 की रात्रि थाना बर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भारत गैस तिराहा कर्रही रोड पर चेकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोर 1.अंकित, 2. केशव, 3.लक्की को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 07 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने जनपद कानपर नगर व उसके आसपास से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वाहन चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना बर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. अंकित निवासी बर्रा थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर मूल पता ग्राम निबिया खेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर।
2. केशव निवासी हरदेव नगर थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर।
3. लक्की निवासी हरदेव नगर थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी के 07 दो पहिया वाहन

<u>जनपद शामली/थाना कैराना</u>

- **40 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **चोरी की मोटर साइकिल**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.10.2019 की सांय थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूरा चुँगी बाईपास पर चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी सादिक उर्फ बन्दर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 किलोग्राम अवैध डोडापोस्त, चोरी की मोटर साइकिल व 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हरियाणा व जनपद शामली, सहारनपुर के विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, विद्युत अधिनियम व आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना कैराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 491/2019 धारा 414 भादवि में वांछित चल रहा था तथा जनपद

सहारनुपर से भी वांछित चल रहा था, जिस पर जनपद सहारनपुर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार एवं जनपद शामली से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्त**</u>

1. सादिक उर्फ बन्दर निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहेटी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>**बरामदगी**</u>

1. 05 किलोग्राम अवैध डोडापोस्त
2. चोरी की मोटर साइकिल
3. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

<u>**जनपद फतेहगढ़— थाना कायमगंज**</u>

- **हत्या सहित डकैती का मुख्य अभियुक्त 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **एक तमंचा 315 बोर, एक मोटर साइकिल व 9500 रूपये बरामद**

दिनांक 04/05—10—2019 को रात्रि में थाना कायमगंज व सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अलीगंज की तरफ से आ रही एक मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर सवार ने गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया। मोटर साइकिल सवार का पीछा किया गया तो बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गये। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश राहुल घायल हो गया जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस, एक मोटर साइकिल व लूट के 9500 रूपये बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 9 अभियोग जनपद अलीगढ़ व फर्रूखाबाद के विभिन्न थानों पर पंजीकृज हैं तथा जनपद अलीगढ़ के थाना छर्रा के मु0अ0सं0 219/19 धारा 396 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कायमगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राहुल निवासी टुआमई थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–एक तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस

2–एक मोटर साइकिल

3–लूट के 9500 रूपये

<u>जनपद वाराणसी/थाना रोहनियां</u>

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 05 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात**
- **चोरी के 10,020/–रू0 नगद बरामद**

दिनांक 04.10.2019 की सांय को थाना रोहनियां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर औढ़े जाने वाले तिराहे हाईवे सर्विस लेन पर चेकिंग के दौरान 02 शातिर चोर 1.रोहित, 2.शिवम को गिरफ्तार किया गया तथा 01 अपचरी हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग 05 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात, चोरी के 10,020 रू0 नगद बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. रोहित निवासी अमराखैरा चक थाना रोहनियॉ जनपद वाराणसी।
2. शिवम निवासी अमराखैरा चक थाना रोहनियां जनपद वाराणसी ।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी के लगभग 05 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात(सोने का 01 मंगलसूत्र, 01 सोने का नग हार, सोने की 01 नथिया, सोने की 04 चूड़ियां, सोने की 01 जोडी कान की बाली, सोने का 01 जोड़ी टाप्स, सोने का 01जोड़ी झुमका, सोने की 02 चेन, चांदी की 01 जोड़ी जीवित्पुत्रिका, 01 चांदी की पेजनी, 01 चांदी की करधनी, चांदी की 01 जोड़ी पायल आदि)

2. चोरी के 10,020/रू0 नगद

जनपद वाराणसी/थाना मिर्जामुराद

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का लगभग 10 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात**
- **चोरी के लगभग 02 लाख रू0 नगद आदि बरामद**

दिनांक 05.10.2019 को थाना मिर्जामुराद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेहदीगंज नहर पुलिया चौराहे पर चेकिंग के दौरान 04 शातिर अभियुक्त 1.साहिल उर्फ नत्थू, 2.जितेन्द्र, 3.धर्मप्रकाश, 4.अनिल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से चोरी के सोने के 207 ग्राम व चांदी के 760 ग्राम जेवरात कीमत लगभग 10 लाख रू0, चोरी के लगभग 02 लाख रू0 नगद व 01 चार पहिया वाहन, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त साहिल उर्फ नत्थू के विरूद्ध जनपद वाराणसी के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त जितेन्द्र, धर्मप्रकाश व अनिल के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी आदि के 08–08 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने चोरी आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जामुराद पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. साहिल उर्फ नत्थू निवासी ग्राम भड़ाव थाना जन्सा जनपद वाराणसी।
2. जितेन्द्र निवासी गरथमा थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।
3. धर्मप्रकाश निवासी ग्राम रखौना थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।
4. अनील निवासी ग्राम बन्देपुर(खुशयारी)थाना रोहनिया जनपद वाराणसी।

बरामदगी

1. चोरी का लगभग 10 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात(सोने के 207 ग्राम व चांदी के 760 ग्राम)
2. चोरी के लगभग 02 लाख रू0 नगद
3. 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि

जनपद एटा/थाना जैथरा

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण, लूट के 93 हजार रू0 नगद**
- **02 तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.10.2019 की सांय थाना जैथरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पटियाली रोड़ पर बन्द पड़े भट्टे के पास घेराबंदी कर 02 शातिर अभियुक्तों 1.शिशुपाल, 2.बोबी को गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 93 हजार रू0 नगद, 02 तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त शिशुपाल के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त बोबी के विरूद्ध लूट व आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 02.10.2019 को घटित लूट की घटना सहित लूट आदि की कई अन्य घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना जैथरा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शिशुपाल निवासी बल्हारपुर थाना सिढ़पुरा जनपद कासगंज।
2. बोबी निवासी बल्हारपुर थाना सिढ़पुरा जनपद कासगंज।

बरामदगी

1. लूट के 93 हजार रू0 नगद
2. 02 तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस
3. 01 मोटर साइकिल

जनपद मेरठ/थाना परीक्षितगढ़

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 तमंचे 315 बोर**
- **01 तमंचा 315 बोर अर्द्धनिर्मित**
- **01 तमंचा 12 बोर अर्द्धनिर्मित**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 04.10.2019 की सांय थाना परीक्षितगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम खजूरी में घेराबंदी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1.भूरा, 2.हारून को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 तमंचे 315 बोर, 01 तमंचा 315 बोर अधबना 01 तमंचा 12 बोर अर्द्धनिर्मित तमंचा व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त भूरा के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों में चोरी, विद्युत अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त हारून के विरूद्ध 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना परीक्षितगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. भूरा निवासी ग्राम खजूरी थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ।
2. हारून निवासी ग्राम अहमदनगर बढला थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1. 07 तमंचे 315 बोर
2. 01 तमंचा 315 बोर अर्द्धनिर्मित
3. 01 तमंचा 12 बोर अर्द्धनिर्मित तमंचा
4. अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

<u>जनपद बाराबंकी/थाना बदोसराय</u>

- **25–25 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 05.10.2019 को थाना बदोसराय पुलिसटीम द्वारा सूचना के आधार पर कोटवाधाम चौराहा पर घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित 02 अपराधी 1.ईदू, 2.करिया उर्फ गौस को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो मु0अ0सं0 270/19 धारा 2(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद पुलिस द्वारा 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. ईदू निवासी ग्राम भटपुरवा मजरे बघौली थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।
2. करिया उर्फ गौस निवासी कस्बा इटहुआ थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

जनपद गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिलें बरामद**

दिनांक 05.10.2019 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सलारपुर यूटर्न के पास चेकिंग के दौरान शातिर अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 10 मोटर साइकिलें बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, हापुड, अमरोहा, मुरादाबाद आदि जनपदों के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने चोरी व लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राहुल निवासी कुलीमानपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1. चोरी की 10 मोटर साइकिलें।

जनपद गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 05.10.2019 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गार्डन ग्लेरिया सेक्टर–38ए के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी रोहित उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना सेक्टर–39 के मु0अ0सं0 195/2019 धारा 302/394 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. रोहित उर्फ कल्लू निवासी ग्राम नवादा बहादुर थाना लवेदी जनपद इटावा।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस

————